

डिक्री मुकदमा इब्दादाई
(ओ 20 रूल 6-7 जाका दीवानी)

आज अवालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम

पीठारीन अधिकारी:- पूजा मीना आर.ए.एस
उगवान

1. नरेन्द्र सिंह पुत्र भोलासिंह राजपूत
 2. बिजेन्द्र सिंह पुत्र भोलासिंह राजपूत
 3. गजेन्द्र सिंह पुत्र भोलासिंह राजपूत
 4. शैलेन्द्र सिंह पुत्र भोलासिंह राजपूत
- निवासीयान भनकपुरा हाल निवासी संग्राम सिंह कॉलोनी सी स्कीम जयपुर।

(वादीगण)

बनाम

1. मोतीसिंह पुत्र नवलसिंह
2. पुष्पा देवी पत्नि भवानी सिंह (मृतक)
3. शालिनी पुत्री भवानी सिंह
4. बैधनाथ सिंह पुत्र नवलसिंह राजपूत (फौत)
4/1 शारदा देवी पत्नि बैधनाथ सिंह
4/2 राहुल राजावत पुत्र बैधनाथ सिंह
4/3 अतुल राजावत पुत्र बैधनाथ सिंह
निवासीयान भनकपुरा हाल निवासी प्लॉट न0 21 संग्राम सिंह कालोनी सी स्कीम जयपुर।
5. अविनाश सिंह पुत्र शम्भू सिंह
6. दीप कंवर पुत्र शम्भू सिंह
7. मनीषा पुत्री शम्भू सिंह
8. रूपा कुमारी पुत्री शम्भू सिंह
9. शिवानी पुत्री शम्भू सिंह
10. पुष्पा देवी पत्नि शम्भू सिंह
जातियान राजपूत निवासीयान भनकपुरा तहसील टोडाभीम।
11. तहसीलदार टोडाभीम।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत घोषणा खातेदारी, बटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0:- 224 / 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबई श्री विष्णु कंटक एडवोकेट व श्री संजय गहलोत एडवोकेट हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है, व ग्राम गहरौली की आराजीयात मे निम्नानुसार डिक्री दी जाती है कि

क्र0 स0	खाता न0	नाम खातेदार काश्तकार	ख0न0	रकवा
1	261	गजेन्द्र सिंह पुत्र भोलासिंह हि0 1/4, नरेन्द्र सिंह पुत्र भोलासिंह हि0 1/4, बिजेन्द्र सिंह पुत्र भोलासिंह हि0 1/4, शैलेन्द्र सिंह पुत्र भोलासिंह हि0 1/4, जाति राजपूत सा. भनकपुरा हाल निवासी संग्राम सिंह कॉलोनी सी-स्कीम जयपुर	313	0.4275 है0



उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली



2	261	अविनाश सिंह पुत्र शम्भू सिंह जाति राजपूत सा. भनकपुरा	313/1	0.1425 हे०
---	-----	---	-------	------------

उक्त सूची अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नक्शा ट्रेस की प्रति निर्णय के साथ सलग्न रहेगी। उभयपक्ष को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक-दूसरे के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत नहीं करे।

निज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 07.04.2025 को जारी की गई।

Signature

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टांडाभीम, जिला-करौली

